2012:CGHC:2474

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5525/2011

याचिकाकर्तागण — प्रवीण कुमार पुरसेठ और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आदेश

आदेश हेतु दिनांक 2 जुलाई, 2012 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2012:CGHC:2474

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5525/2011

याचिकाकर्तागण — प्रवीण कुमार पुरसेठ और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-

याचिकाकर्तागण के लिए श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री ए.वी. श्रीधर, पैनल अधिवक्ता।

(2 जुलाई, 2012 को पारित किया गया)

1. याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (संक्षेप में "सी ए एफ") में प्लाटून कमांडर (संक्षेप में "पी सी") के पद पर कार्यरत हैं तथा काउंटर टेररिज़्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज, कांकेर (संक्षेप में "सीटीजेडब्ल्यू") में पदस्थ हैं। याचिकाकर्तागण को कंपनी कमांडर (संक्षेप में "सीसी") के पद पर पदोन्नति इस आधार पर नहीं दी गई कि उनके पास किसी भी सी ए एफ की सक्रिय कंपनी में 2 वर्ष का अनुभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीय कर्तव्य (सक्रिय कर्तव्य) का निर्वहन नहीं किया है।

2. याचिकाकर्तागण द्वारा बताए गए संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्तागण की प्रारंभिक नियुक्ति 7 अप्रैल, 2004 को प्लाटून कमांडर के पद पर हुई थी। प्रथम याचिकाकर्ता को 9वीं

बटालियन सी ए एफ, दंतेवाड़ा में पदस्थ किया गया था तथा द्वितीय एवं तृतीय याचिकाकर्तागण को 10वीं बटालियन, सिलफिली, सरगुजा में पदस्थ किया गया था। इसके पश्चात, आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2005 द्वारा उन्हें सी टी जे डब्ल्यू, कांकेर में पदस्थ किया गया। याचिकाकर्तागण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी। दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को जारी वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्तागण के नाम (अनुलग्नक–पी/3) पर क्रमशः क्रमांक 9, 11 एवं 16 पर दर्शित थे ।

3. उत्तरवादीगण द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (संक्षेप में "सी ए एफ") के विभिन्न संवर्गों में सेवा विनियमन के उद्देश्य से एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (संक्षेप में "एसओपी") (अनुलग्नक–पी/4) तैयार की गई । उक्त एसओपी को राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 5 जनवरी, 2011 के माध्यम से अनुमोदित किया गया तथा पूर्व में प्रभावशील एसओपी 75/97 को प्रतिस्थापित कर वर्तमान एसओपी अर्थात् एसओपी 75/2010 लागू की गई। उक्त एसओपी 75/2010 के अंतर्गत कंपनी कमांडर (सीसी) के 93% पद प्लाटून कमांडर (पी सी) के पद से पदोन्नति द्वारा तथा शेष 7% पद सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अवशोषण द्वारा भरे जाने का प्रावधान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्तागण के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में "डी पी सी") की अनुशंसाओं के आधार पर आदेश दिनांक 18/19 अगस्त, 2011 (अनुलग्नक–पी/5) द्वारा 66 अभ्यर्थियों को पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु चयनित किया गया। तथापि, चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में वरिष्ठता में ऊपर होने के बावजूद, याचिकाकर्तागण को चयन सूची में स्थान नहीं दिया गया। इससे आहत होकर, याचिकाकर्तागण ने दिनांक 30 अगस्त, 2011 को तृतीय उत्तरवादी के समक्ष एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक–पी/6) प्रस्तुत किया, किंतु उससे कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोशी ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण की पदस्थापना सी टी जे डब्ल्यू, कांकेर में की गई थी, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। प्रशिक्षण के उद्देश्य से याचिकाकर्तागण को मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें नक्सली

2012:CGHC:2474

गतिविधियों का सामना करना पड़ता था, जिसमें नक्सली हमले तथा अन्य समस्याएँ सम्मिलित हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्तागण ने 2 वर्ष की सक्रिय कर्तव्य, जिसमें 1 वर्ष नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कर्तव्य सम्मिलित है, पूर्ण नहीं की है।

6. श्री कोशी ने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1968 (संक्षेप में "एस ए एफ अधिनियम, 1968") के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि पदस्थापना क्षेत्रीय (सक्रिय) कर्तव्य की होगी। याचिकाकर्तागण के विरुद्ध कभी भी कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं दी गई।

7. एस ए एफ अधिनियम, 1968 की धारा 2(क) में क्षेत्रीय कर्तव्य (सक्रिय कर्तव्य) की परिभाषा दी गई है, जिसका अर्थ शांति बनाए रखने या शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने, समाज के लिए खतरनाक असामाजिक तत्वों का पता लगाने एवं उन्हें गिरफ्तार करने से है। इसके अतिरिक्त, इसमें आगजनी, बाढ़, भूकंप तथा शत्रुओं के आक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा एस ए एफ अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कर्तव्यों के निर्वहन का भी प्रावधान है। अतः सी टी जे डब्ल्यू, कांकेर में याचिकाकर्तागण द्वारा पुलिस अधिकारियों को नक्सली हमलों की रोकथाम एवं नक्सलियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिया गया प्रशिक्षण, क्षेत्र में की गई सक्रिय कर्तव्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री कोशी ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रशिक्षणार्थियों के साथ मैदानी क्षेत्रों में जाते थे तथा प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य नियमित कर्मचारियों के साथ मिलकर परिस्थितियों का सामना करते थे। अतः याचिकाकर्ता मुख्यालय में पदस्थ नहीं थे, बल्कि सक्रिय कर्तव्य पर थे। इस प्रकार, याचिकाकर्तागण की पदस्थापना में सक्रिय कर्तव्य सम्मिलित थी तथा उक्त कर्तव्य का एक वर्ष या उससे अधिक का अनुभव कंपनी कमांडर (सीसी) के पद पर पदोन्नति हेतु याचिकाकर्तागण की पात्रता के लिए पर्याप्त है। याचिकाकर्तागण ने वर्ष 2004 से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक वर्ष से

अधिक अवधि तक शारीरिक रूप से कार्य किया है। याचिकाकर्तागण की प्रारंभिक पदस्थापना दंतेवाड़ा एवं सिलफिली, सरगुजा में की गई थी, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। अतः कंपनी कमांडर के पद पर पदोन्नति हेतु याचिकाकर्तागण की अभ्यर्थीता पर विचार न किया जाना विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है और उसे कायम नहीं रखा जा सकता।

9. अंत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सी टी जे डब्ल्यू, कांकेर में याचिकाकर्तागण की पदस्थापना उनकी स्वेच्छा से नहीं थी। याचिकाकर्तागण की पदस्थापना शासन द्वारा की गई थी और उन्हें ऐसे स्थान पर पदस्थ नहीं किया जा सकता था, जो उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने में अयोग्यता का कारण बने। याचिकाकर्ता उन अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में कहीं अधिक वरिष्ठ हैं, जिन्हें पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु चयनित किया गया है, तथा उनमें से कुछ ने याचिकाकर्तागण के अधीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कार्य भी किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके विपरीत, उत्तरवादी राज्य की ओर से श्री साव, विद्वान शासकीय अधिवक्ता, जिनके साथ श्री श्रीधर, विद्वान पैनल अधिवक्ता उपस्थित थे, ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एसओपी में निर्धारित तीन वर्ष की मैदानी कर्तव्य (फील्ड कर्तव्य) की पात्रता को पूर्ण नहीं करते हैं। सी टी जे डब्ल्यू में पदस्थापना एवं वहाँ कार्य करना क्षेत्रीय कर्तव्य (सक्रिय कर्तव्य) के समकक्ष नहीं है। श्री साव ने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि पूर्व में राज्य द्वारा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न बनाए जाने के संबंध में आपत्ति उठाई गई थी, क्योंकि याचिकाकर्तागण ने आवश्यक पक्षकारों को याचिका में सम्मिलित नहीं किया है, अतः आवश्यक पक्षकारों के अभाव में यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

11. श्री साव ने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि प्रशिक्षण प्रदान करना सक्रिय कंपनी में सेवा प्रदान करने के समकक्ष नहीं माना जा सकता। सक्रिय कंपनी में सेवा प्रदान करने का आशय ऐसी कंपनी में सेवा से है, जो मैदानी अभियानों में संलग्न हो। याचिकाकर्ता एसओपी 75/2010 के

प्रावधानों के अनुसार आवश्यक पात्रता नहीं रखते हैं और इस कारण दिनांक 18 अगस्त, 2011 की प्लाटून कमांडरों की पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु उपयुक्त सूची में याचिकाकर्तागण के नामों को विधिसंगत रूप से सम्मिलित नहीं किया गया। श्री साव ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रबोध वर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य[1] प्रकरण में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया।

12. याचिकाकर्तागण की इस शिकायत के संबंध में कि उनकी पदस्थापना सी टी जे डब्ल्यू में उनकी स्वयं के अभ्यावेदन पर नहीं, बल्कि शासन द्वारा की गई थी और इसके कारण उन्हें भविष्य में पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता, राज्य की ओर से कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

13. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेज़ों का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14.एस ए एफ अधिनियम, 1968 की धारा 2 (क) और 12 को इस प्रकार उद्धृत करना हितकारी होगा:

> आशय "2 (क) "क्षेत्रीय कर्तव्य" (एक्टिव कर्तव्य) से
>
> (1) शान्ति भंग करने या जान-माल को खतरा पहुँचाने संबंधी अपराधों को रोकने या उनकी जांच पड़ताल करने और ऐसे अपराध से संबंधित व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों को, जो इतने निराशोन्मत तथा खतरनाक हों कि जिनका स्वतंत्र रहना समाज के लिए भयावह हो, पता लगाने तथा उन्हें गिरफतार करने संबंधी कर्तव्य से;
>
> (2) आग बुझाने के लिए सभी समुचित उपाय करने या आग, बाढ़, भूकम्प, शत्रुओं के आक्रमण या दंगे जैसी घटनाओं के समय व्यक्ति या सम्पत्ति को हानि

1 (1984) 4 SCC 251

2012:CGHC:2474

से बचाने पर ऐसे अवसरों पर शांति स्थापित करने तथा व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कर्तव्य से;

(3) ऐसे अन्य कर्तव्य हैं, जो धारा 12 के अन्तर्गत दिए गए निर्देश में राज्य शासन या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट किया जाए;

12. विशेष सशस्त्र बल के सदस्यों के सामान्य कर्तव्य (1) विशेष सशस्त्र बल का प्रत्येक अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हमेशा कर्तव्यस्थ माना जाएगा और विशेष सशस्त्र बल का कोई भी अधिकारी तथा विशेष सशस्त्र बल अधिकारियों के किसी भी संख्या में या उनके किसी भी समूह की राज्य शासन या महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किया जाने पर उस समय तक के लिए, तब तक कि उस स्थान पर जहाँ कि उसकी सेवाएँ उपेक्षित हो, मध्यप्रदेश में या उसके बाहर, सकिय (एक्टिव) कर्तव्य पर नियोजित किया जा सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिए गए प्रत्येक निर्देश में यहाँ निर्दिष्ट किया जायेगा कि वह कर्तव्य, जिस पर कि विशेष सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को या ऐसे अधिकारियों को किसी भी संख्या में उनके किसी भी समूह को नियोजित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया हो, इस अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय कर्तव्य माना जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिए गए प्रत्येक निर्देश अंतिम होगा और विशेष सशस्त्र बल के प्रत्येक संबंधित अधिकारी पर बंधनकारी होगा।

(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत क्षेत्रीय कर्तव्य पर नियोजित विशेष सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या यदि विशेष सशस्त्र बल अधिकारियों को किसी भी संख्या में या उनके किसी समूह को इस तरह नियोजित किया गया हो तो ऐसी संख्या में या

2012:CGHC:2474

समूह का प्रभरी अधिकारी उनके कर्तव्य के दक्षतापूर्वक पालन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे सभी पुलिस अधिकारी, जो कि विशेष सशस्त्र बल के एक या अधिक अधिकारियों या विशेष सशस्त्र बल के अधिकारियों के समूह के नियोजित न होने पर उस कर्तव्य के पालन के लिए उत्तरदायी होते, अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार विशेष सशस्त्र बल के उक्त अधिकारी या विशेष सशस्त्र बल के अधिकारियों की किसी भी संख्या या समूह के प्रभारी अधिकारी को सहायता और सहयोग देंगे।"

एस ए एफ अधिनियम, 1968 की धारा 2 (क) और 12 के परिशीलन करने पर, यह अभिनिर्धारित नही किया जा सकता कि याचिकाकर्ता सकिय कर्तव्य पर नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. एसओपी 75/2010 के खण्ड 2, जो पी सी से सीसी में पदोन्नति से जुड़ा है, निम्न प्रकार है:

"(2) चयन प्रक्रिया की पात्रता :-

1-उम्मीदवार का परीक्षा वर्ष के प्रथम जनवरी को सीधी भर्ती के प्लाटून कमाण्डर का 05 वर्ष का सेवाकाल तथा पदोन्नत प्लाटून कमाण्डर का प्लाटून कमाण्डर के पद पर 03 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होना चाहिए।

प्लाटून कमाण्डर से कंपनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भौतिक रूप से एक वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा।

2- सीधी भर्ती के प्लाटून कमाण्डरों को छ०स०बल की एक्टिव कंपनी का 02 वर्ष का तथा पदोन्नत प्लाटून कमाण्डर को 01 वर्ष का प्लाटून कमाण्डर के पद पर क्षेत्रीय कर्तव्य का अनुभव होना चाहिए। बटालियन मुख्यालय की पदस्थापना क्षेत्रीय कर्तव्य नहीं मानी जावेगी।

2012:CGHC:2474

3- उम्मीदवार को तत्काल पूर्व के 5 वर्षों में कोई बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। पांच वर्षों में प्राप्त लघुशास्ति की संख्या प्राप्त इनामों से अधिक नहीं होना चाहिए।

नोटः- जिन कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया है एवं वह अपील-प्राधिकारी के आदेश उपरांत याचिका में मानवीय आधार पर आ गये है, उनके संबंध में दीर्घशास्ति मानी जावेगी।"

16. खंड 2 की उपधारा (1) में प्लाटून कमांडरों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है। सीधी भर्ती किए गए प्लाटून कमांडरों के लिए 5 वर्ष का अनुभव तथा 3 वर्ष की सक्रिय कर्तव्य, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष की शारीरिक कर्तव्य सम्मिलित हो, अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्ववर्ती 5 वर्षों की सेवा अवधि में कोई भी दीर्घशास्ति नहीं होनी चाहिए तथा लघु शास्तियों की संख्या उस अवधि में प्राप्त पुरस्कारों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. याचिकाकर्तागण को आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2005 (अनुलग्नक–पी/2) द्वारा सी टी जे डब्ल्यू, कांकेर में पदस्थ किया गया था। उससे पूर्व, प्रथम याचिकाकर्ता दंतेवाड़ा में तथा द्वितीय एवं तृतीय याचिकाकर्ता सिलफिली, सरगुजा में पदस्थ थे। निर्विवाद रूप से, दोनों ही जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्तागण ने अपनी नियुक्ति दिनांक 7 अप्रैल, 2004 से लेकर सी टी जे डब्ल्यू, कांकेर में पदस्थापना दिनांक 13 जुलाई, 2005 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव पूर्ण कर लिया था।

18. एस ए एफ अधिनियम, 1968 की धारा 2(क) के अंतर्गत, अभ्यर्थी को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष तक शारीरिक रूप से कार्य किया होना आवश्यक है। अतः याचिकाकर्तागण ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शारीरिक रूप से कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर लिया था। याचिकाकर्तागण ने 5 वर्षों की सेवा अवधि भी पूर्ण कर ली है तथा यह भी प्रतीत होता है कि याचिकाकर्तागण के विरुद्ध कभी कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं दी गई और न ही उनके विरुद्ध कोई

2012:CGHC:2474

लघु अथवा दीर्घ शास्ति अधिरोपित की गई, जैसा कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी नहीं कहा गया।

19. वर्तमान प्रकरण की भांति किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय में की गई पदस्थापना की तुलना मुख्यालय में की गई पदस्थापना से नहीं की जा सकती। प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षक (कोच) के रूप में प्रशिक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ता है तथा याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता मैदानी क्षेत्रों में भी गए हैं, जहाँ उन्होंने नक्सलियों द्वारा किए गए हमलों तथा नक्सलियों के कारण उत्पन्न अन्य समस्याओं का सामना किया है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता सी ए एफ की सक्रिय कर्तव्य पर नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. एसओपी 75/2010 में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पदस्थ प्लाटून कमांडरों को, जब उन्होंने कार्यालयों में कार्य न किया हो, किंतु याचिकाकर्तागण द्वारा कथित रूप से मैदानी कर्तव्य की हो, तो क्या उन्हें सेवा में सक्रिय कर्तव्य माना जाएगा या नहीं। राज्य की ओर से उक्त कथन का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है। यहाँ तक कि एस ए एफ अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत भी किसी स्थान पर की गई पदस्थापना को सक्रिय कर्तव्य माना गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्तागण की सी टी जे डब्ल्यू महाविद्यालय में पदस्थापना उनके स्वयं के अभ्यावेदन पर नहीं की गई थी। शासन ने संभवतः उनकी दक्षता, क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए उन्हें पदस्थ किया होगा और इस आधार पर भी याचिकाकर्तागण को अन्य अभ्यर्थियों के साथ पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता।

21. राज्य शासन द्वारा याचिकाकर्तागण को महाविद्यालय में पदस्थापना से पूर्व यह भी सूचित नहीं किया कि महाविद्यालय में पदस्थापना की अवधि को सक्रिय कर्तव्य नहीं माना जाएगा, जबकि उच्च पद पर पदोन्नति हेतु यह एक आवश्यक शर्त है। किसी प्रतिकूल परिणाम की जानकारी के बिना याचिकाकर्तागण को सी टी जे डब्ल्यू महाविद्यालय में पदस्थ किया गया और लगभग 8 वर्ष की

अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात्, याचिकाकर्तागण की उच्च पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने की विधिसम्मत प्रत्याशा को बिना किसी औचित्य के अस्वीकार कर दिया गया।

22. याचिकाकर्तागण की सहमति के बिना उन्हें सी टी जे डब्ल्यू महाविद्यालय, कांकेर में पदस्थ किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी कमांडर (सीसी) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने से वे अयोग्य हो गए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अंतर्गत निहित मौलिक अधिकारों के प्रतिषेध के समान है। यह एक सुव्यवस्थित विधिक सिद्धांत है कि पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16(1) से प्रवाहित होता है।

23. *सी.ओ. अरुमुगम और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य*[2] प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है :

> "5. प्रकरण के गुण-दोष के संबंध में यह कहना आवश्यक है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को अपनी बारी के अनुसार पदोन्नति हेतु अपने प्रकरण पर विचार किए जाने का अधिकार है और यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16(1) से प्रवाहित होने वाली एक संवैधानिक गारंटी है...."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. *मध्य प्रदेश राज्य बनाम जे.एस. बंसल और एक अन्य*[3] प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है :

> "13. निस्संदेह, किसी कर्मचारी को पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का अधिकार है, किंतु वह पदोन्नति को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता। पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का अधिकार, पदोन्नति के अधिकार से स्पष्टतः भिन्न एवं पृथक है...."

---

2 1991 Sup (2) SCC 199
3 (1998) 3 SCC 714

25. उपर्युक्त प्रतिपादित विधिक सिद्धांत को बाद में *दिल्ली जल बोर्ड बनाम महिंदर सिंह*[4] *तथा द्वारका प्रसाद और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*[5] प्रकरणों में भी अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है।

26. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रबोध वर्मा (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि इस प्रकरण में यह विचारणीय नहीं है कि याचिकाकर्ता पदोन्नति के हकदार हैं या नहीं। न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि क्या एस ए एफ अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशिक्षण महाविद्यालय में की गई सेवा को सक्रिय कर्तव्य माना जा सकता है अथवा नहीं।

27. राज्य का यह तर्क कि याचिकाकर्तागण ने पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु अनुशंसित अन्य व्यक्तियों को आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाया है और इस कारण दिनांक 18 अगस्त, 2011 की चयन सूची (अनुलग्नक–पी/5) को अभिखण्डित करने की प्रार्थना करने वाली यह याचिका आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं करने के कारण याचिका को खारिज किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. दिनांक 18 अगस्त, 2011 की चयन सूची (अनुलग्नक–पी/5), जिसके अंतर्गत 66 प्लाटून कमांडरों को पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु सफल घोषित किया गया है, को अभिखण्डित नहीं किया जा सकता, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों को पक्षकार उत्तरवादी के रूप में इस याचिका में सम्मिलित नहीं किया गया है और वे इस न्यायालय के समक्ष उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैं।

29. न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2005 के अनुपालन में सी टी जे डब्ल्यू महाविद्यालय, कांकेर में व्यतीत की गई अवधि को क्या मैदानी क्षेत्र में की गई सक्रिय कर्तव्य माना जा सकता है अथवा क्या उक्त अवधि को, मैदानी कर्तव्य न होने के कारण, अयोग्यता के रूप में उचित ढंग से माना गया है। अतः केवल इस आधार पर कि आवश्यक अनुभव

4 (2000) 7 SCC 210
5 (2003) 6 SCC 535

2012:CGHC:2474

रखने के आधार पर जिन व्यक्तियों पर विचार किया गया है और जिन्हें पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु भेजा गया है, उन्हें आवश्यक पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया, इस याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त नहीं किया जा सकता।

30. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, याचिकाकर्तागण की सहमति के बिना तथा उन्हें यह सूचना दिए बिना कि महाविद्यालय में व्यतीत की गई अवधि को पदोन्नति के प्रयोजनार्थ मैदानी कर्तव्य नहीं माना जाएगा, सी टी जे डब्ल्यू महाविद्यालय, कांकेर में की गई उनकी पदस्थापना विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है।

31. पूर्वोक्त के परिप्रेक्ष्य में, उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्तागण के प्रकरण पर उस तिथि के अनुसार विचार करें, जिस तिथि को वे अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ आगे की पदोन्नति हेतु पात्र हुए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका निराकृत की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ..... Aniruddha Shrivastava, Advocate